

सूचना

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं BMSICL के बीच दिनांक 31.07.2026 को QR Code के अनुपालन के संबंध में बैठक आयोजित हुई। समीक्षात्मक बैठक में दर-अनुबंधित औषधियों/सामग्रियों पर QR Code की व्यवस्था अनिवार्य रूप से अनुपालन करने हेतु निदेश दिया गया है।

2. औषधियों के पैकेज लेवल पर अंकित QR Code के माध्यम से संग्रहित डाटा/सूचना में निम्नलिखित विवरण आवश्यक रूप से समाहित किया जाना है:-

- उत्पाद पहचान कोड (Unique product identification code);
- ड्रग कोड (Drug Code);
- औषधि का उचित और जेनरिक नाम (Proper and generic name of the drug);
- ब्रांड नाम (Brand Name);
- निर्माता का नाम और पता (Name and address of the manufacturer);
- बैच संख्या (Batch number);
- निर्माण की तिथि (Date of manufacturing);
- तिथिवाद अथवा अवसान की तिथि (Date of expiry);
- निर्माण अनुज्ञप्ति संख्या (Manufacturing licence number);
- 'स्ट्रीप की टैबलेट/गोली की संख्या' का प्रदर्शन (Quantity Display);

3. औषधियों के QR code के संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि:-

- स्ट्रीप के चारों कोने (every corner) पर QR Code प्रिंट किया जाय एवं यह Readable/ स्कैनिंग योग्य हो।
- औषधि के अवसान की तिथि तक QR Code स्कैनिंग योग्य/Readable होना चाहिए।
- Bottle, Vial, Ampoule के प्राथमिक पैकेज लेवल में अपर्याप्त स्थान के मामले में Bottle, Vial, Ampoule के प्रत्येक द्वितीयक पैकेज लेवल पर QR Code इस प्रकार प्रिंट किया जाए ताकि QR Code स्कैन करने पर Readable हो सकें।
- QR Code इस प्रकार हो कि वह कम्प्यूटर एवं मोबाईल कैमरा से स्कैन किया जा सके।
- QR Code का मानक GS1 Standard का होना चाहिए।
- सभी औषधियों पर अंकित QR Code से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि (Unique Identification code के अनुसार) DVDMS में संदर्भित औषधि के लिए होना चाहिए ताकि औषधियों का वितरण QR Code के अनुसार DVDMS के माध्यम से सुगमतापूर्वक हो सके।

3. विदित हो कि BMSICL के Bid Document के क्रमांक 23 (h) The drugs shall also be supplied with bar coding conditions के अनुसार भी उक्त नियम का अनुपालन दर अनुबंधित निर्माता संस्थानों से कराया जाना आवश्यक है, जो भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 823 (अ) दिनांक 17/11/2022 द्वारा औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के तहत अनुसूची ज-2 (Schedule H2) वाले औषधियों के अतिरिक्त अन्य सभी दर अनुबंधित औषधियों पर भी प्रभावी होगा।

5. अतः निदेशित किया जाता है कि BMSICL में आपूर्ति करने वाले सभी फर्मों को औषधियों/सामग्रियों के प्राथमिक पैकेजिंग लेवल पर अथवा अपर्याप्त स्थान के मामले में द्वितीयक पैकेज लेवल पर QR Code प्रिंट/चस्पा कराने की दिशा में समुचित कार्यवाई की जाय अन्यथा अनुपालन नहीं करने पर औषधियों/सामग्रियों निगम के भंडार गृह में स्वीकार्य नहीं की जाएगी अथवा निविदा शर्त के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाई की जाएगी।

महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)

ज्ञापक :- BMSIC/40015/02-2018/3982

दिनांक-25/08/2026

प्रतिलिपि:- 1. सभी निविदादाताओं को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सादर सूचनार्थ।